दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
23-9-22	पत्रावली पेश हुई। वसूलयाब करीकरन उपधारा 5 व 13(2) जब्ताब्ती समाप्त चाहते हैं। नियमानुसार एक अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 25-11-22 को पेश हो।
25.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी व प्रतिवादी बादी उपस्थित। वकील बादी व प्रतिवादी बादी को नोटिस बाद आवाज लगवाई गई। बावजूद इसके न्यायालय के उपस्थित नहीं है अतः बादी का वाद अस्थगित अस्थायी पेशी के परिणाम बिना खारिज किया जाता है। पत्रावली मौजूदा खारिज होकर वाद तामील तकमील के हाशिल दफ्तर हो।